फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुकाम अनूपगढ़

आवास फाईनेन्सर्स लि. बनाम नवनदीप कौर आदि

अन्तर्गत धारा 14 SARFAESI ACT नम्बर......98......सन् 2024

जी.सी.एम.एस. आईडी :2024 / ....209.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
28.11.2024	आवास फाईनेंसर्स लि. जरिए प्राधिकृत अधिकारी की ओर से अधिवक्ता श्री मूलाराम जांगू द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी की सम्पति का भौतिक कब्जा जरिए पुलिस सहायता अप्रार्थीगण से प्रार्थी को दिलाए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति प्रार्थी कम्पनी के पास बंधक रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि भुगतान का व्यतिक्रम करने पर अप्रार्थीगण के खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के तहत साठ दिवस का नोटिस जरिए रजि. डाक प्रेषित किया गया, जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। ऋणि द्वारा धारा 13(2) के नोटिस पर कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं किया हैं ना ही बकाया राशि का भुगतान किया हैं। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी कम्पनी के पास बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी को पुलिस सहायता से दिलाए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा रजि. रसीदें एवं रजि. डाक के ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट एवं लोन फार्म, बंधक सम्पत्ति के दस्तावेजों तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा धारा 14 के आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु के प्रति समाधान हो जाने के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करनी होती हैं। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 31.03.2018 को 10 लाख रूपये तथा दिनांक 10.07.2021 को पांच लाख पच्चास हजार रूपये की ऋण सहायता उपलब्ध करवाई थी, प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ 10 लाख रूपये की ऋण राशि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से लिये जाने व प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध करवाए जाने संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है परन्तु 5 लाख 50 हजार रूपये की ऋण राशि हेतु अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी को आवेदन किये जाने व प्रार्थी द्वारा ऋण राशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज लोन फार्म, करार पत्र व ऋण स्वीकृति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 28.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (अवधेश मीना) I.A.S. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़